न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 67/2021
RCMS No. 2021/153

प्रार्थीः–
मूलाराम पुत्र श्री बालुराम जाति निवासी पाचुण्डा कलां तहसील सोजत जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगणः–
1. विष्णुराम पुत्र श्री बालुराम जाति निवासी पाचुण्डा कलां तहसील सोजत जिला पाली
2. श्रीमती सोनी देवी पत्नी स्व.सुजाराम
3. रिकबाराम पुत्र स्व.सुजाराम
4. भंवरलाल पुत्र स्व.श्री सुजाराम जातियान जाट निवासीगण पाचुण्डा कलां तहसील सोजत जिला पाली
5. सरपंच ग्राम पंचायत खोखरा तहसील सोजत जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति –

श्री गजेन्द्र दवे अभिभाषक प्रार्थी
श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः– 12-01-2023

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत खोखरा द्वारा मिसल संख्या 08/1984–85 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 175 दिनांक 20.4.1986 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता वालाराम उर्फ बालुराम का रहवासी भूखण्ड ग्राम पाचुण्डा कंला के आबादी क्षैत्र में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का संयुक्त कब्जाशुदा,स्वामित्व एवं अधिपत्य का आया हुआ स्थित है जिस भूखण्ड का आज दिन तक मौके पर किसी प्रकार का कोई वैधानिक बंटवाड़ा नही किया हुआ है। भूखण्ड का उपयोग उपभोग प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने पशु बांधने, चारा इत्यादि रखने में उपयोग करते आ रहे है। प्रार्थी के पिता बालुराम जी का निंवसीयती स्वर्गवास दिनांक 9.1.1998 को हो चुका है जिनके प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण प्रथम श्रेणी के विधिक उत्तराधिकारी है। इसलिए उपरोक्त वादग्रस्त भूखण्ड पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण बतौर मालिक काबिज है। उक्त आबादी भूखण्ड का पट्टा बनाये जाने हेतु स्व. बालुराम के द्वारा ग्राम पंचायत खोखरा में

अति. जिला कलक्टर, पाली

दिनांक 8.7.1984 को आवेदन प्रस्तुत किया था जिसकी मिसल संख्या 8/1984–85 दर्ज की जाकर विधि विरूद्ध तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पंचायत अधिनियम के प्रावधानो के विरूद्ध एवं विधि के प्रावधानों की पालना किये बिना जैन निगरानी आज्ञा एवं पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से मिलावट कर अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुए विधि विरूद्ध तरीके से मिसल में कांट छांट कर प्रार्थी के पिता बालुराम पुत्र नवलाराम के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 1 का नाम दर्ज कर पट्टा जारी कर दिया। गवाह पुखाराम के द्वारा भी बालुराम जी का उक्त भूखण्ड पर कब्जा होना स्वीकार किया जो गवाह के बयानो से स्पष्ट है। इसके बावजूद रेकर्ड के विपरित जाते हुए ग्राम पचांयत ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा उक्त भूखण्ड का पट्टा अपने पक्ष में जारी करवाये जाने हेतु ग्राम पचांयत के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया और न ही पंचायत में पट्टा जारी करने हेतु मिसल कायम की गई न ही निर्णय पारित किया गया। पट्टे की परत पर स्वयं बालुराम जी के अंगुष्ठ निशान है जिससे यह स्पष्ट है कि पट्टा बालुराम जी के नाम का जारी किया जाना चाहिए था लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से मिलावट कर प्रार्थी के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए पट्टा अप्रार्थी के नाम जारी कर दिया। यदि पट्टा अप्रार्थी के नाम जारी किये जाने का आदेश होता तो पट्टे की परत पर अवश्य ही अप्रार्थी के हस्ताक्षर होते लेकिन पट्टे की परत पर प्रार्थी के पिता बालुराम जी का अंगुष्ठ निशान है। बालुराम जी का नाम परिवर्तन कर अप्रार्थी का नाम दर्ज किय जाने व नाम परिवर्तन करने का भी कोई निर्णय आदेश ग्राम पचांयत द्वारा पारित नही किया गया है। ग्राम पचांयत द्वारा अपनी मनमर्जी अनुसार पंचायती राज नियमो के विपरित जाते हुए गलत प्रकिया अपनाते हुए विधि विरूद्ध तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जिसे निरस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता स्व.बालुराम ने अपने जीवनकाल में दो शादीयां की है। घर में कलह का वातावरण होने के कारण प्रार्थी उसके पिता बालुराम व अप्रार्थीगण अलग अलग निवास करते थे। बालुराम ने प्रार्थी व अप्रार्थी को बाड़े व मकान हेतु भूमि दी एंव वृद्धावस्था के कारण अपनी स्वअर्जित भूमि को अपने पुत्रो को सुपुर्द कर अपनी अचल सम्पति का बंटवाड़ा कर दिया। श्री बालुराम जी को रूपयो की आवश्यकता होने पर उक्त प्लॉट का बेचान अप्रार्थी संख्या 1 को किया। बेचान के प्रतिफल की रकम प्राप्त करके अप्रार्थी के पिता ने वर्ष 1986 में पंचायत में उपस्थित होकर उक्त भूखण्ड का पट्टा अपने पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी करने का निवेदन किया तब पंचायत ने अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किया। पट्टे पर स्व.बालुराम जी के सहमति के अंगुष्ठ निशान है। पट्टा सन 1986 में बना हुआ है जो आज से करीब 35 वर्ष पुराना है। पट्टा बनने के बाद बालुराम की मृत्यु करीब 12 वर्ष बाद हुई। यदि जैर निगरानी पट्टा गलत तथ्यों के आधार पर कूटरचना कर बनाया गया होता तो स्वयं बालुराम के द्वारा ही अपील,निगरानी कर दी जाती। बालुराम की मृत्यु के बाद भी करीब 23 वर्ष बीत चुके है। प्रार्थी व अप्रार्थी 2 से 4 ने आज तक अपने अधिकारो की घोषणा के लिए कार्यवाही क्यों नही की न ही पट्टा जारी होने के बाद कोई एतराज किया। प्रार्थी व अप्रार्थी सगे सम्बन्धी है जिन्हे उक्त बेचान

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

व पट्टे की पूर्ण जानकारी थी। पट्टाशुदा बाड़े का मालिकाना हक व उस पर कब्जा आज भी अप्रार्थी संख्या 1 का ही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजो व ग्राम पंचायत के मूल रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता स्व.भालुराम द्वारा ग्राम पंचायत में जैर निगरानी भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की गई। तीन वार्ड पंचो को मौका जांच हेतु मनोनीत किया। वार्ड पंचो की मौका रिपोर्ट पर नियमानुसार आपत्ति इश्तिहार जारी कर विहित प्रकिया अपनाते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। पंचायत की मिसल में प्रार्थी के नाम पर पेन से गोला करते हुए नीचे अप्रार्थी संख्या 1 का नाम लिखा गया है। यह निर्विवादित है कि पट्टे हेतु आवेदन भालुराम ने किया तथा पट्टा जारी करने संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही भालुराम के नाम से की गई परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी किया गया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत नियमों की अवहेलना करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जिसे यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह पंचायत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत खोखरा द्वारा मिसल संख्या 08/1984–85 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 175 दिनांक 20.4.1986 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का मूल रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 12-01-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली